छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - आन्ति का प्रभाक उल्लूप. जी . 8758 2015 भी कुमल का विभाग किंह - मेंडान विरुद्ध महय प्रदेश स्तासन विंशहप।

पंजी क्माक - 479 2016 श्रीयार त्यारा - मा ० डिस्ट न्यायालय याण्यांठ - इन्देर

कुत्या क्लिका शीम मोटिस का अवलोकन अिन्छ। मा० अल्व द्यायालय ४००उपीठ अहकीर द्वारा याचिका व्यमाक W.P. 8758 2015 संबंहित जी व्या आरी अर अफरन में विमांक 05.04. 2016 लड अवावदावा प्रत्नुत क्याये आने यंबंधी विदेश दिये गर्मे ही

थ - थाचिका कर्ला की कमल लिंह - औरान द्वारा संभागीय र्भमुश्त रंगालक कोष छवं लेखा अत्वीर द्यारा अती कार्याक्योन आदेश क्लिक 14.09.2015 दश्र «-वीक्रत तृतीम् अमममान अंबंदिन अदिश औ कंडिका (रिमार्क) में उल्लेखित किन्दु दे त्यानित हो हर भाननीय न्यायालय के रमन हत्त पारिका अरन्त्र भी भी ही थान्विका में प्रतिवादियों के रूप में क्रमांक - । पर " प्रमुख प्रस्विव म. प. याधन क्लि विभाग, मंत्रालय १००म- अवन भीपाल " कुभांक - 2 पर् "आयुक्त

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- थान्तिका क्रमांक अल्ह्यू. पी 8758 | 205 क्षेत्र क्रमल रिंट -जीटान विस्रह महय प्रदेश स्वासन खंडम्प

का विभाग

म्बिक्टरे !-

प्रविश्व पर अनुमो कन छपरान्त उभारी अधिकारी की निमुक्ति थोदेश की यक्ट्र प्रतिमं हरन्ता भरावे प्रकृत

300 Elfus 50/0 253.16 253.16 2513 2513

5 8 13/16/16/16

MINT p. 22.23/c

इब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - थानिका क्रमांक अल्ल्यू पी. 8758/2013 क्रिक्म विमान सिंह - शहान विरुद्ध महत्त्र प्रदेश शासन त्यं अन्य

र्य सकर है!-

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुद्धित आदेश अधाहित किसे आ खुके हैं. प्रकरण के संदर्भ में प्रतिरह्मण आदेशामारी करने हेत्र जरूती विहित् विभाग को अंकित करना चाहेंगे

अवर मिर्मेन

9/3/16

(3)



मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 🖁 /3/ 2016

क्रमांक :एफ-16/9/2016/ई/चार:- सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 (1909) का अधिनयम संख्या क्रमांक (5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रकरण याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.8758/2015 श्री क्रमल सिंह चौहान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा,इंदौर को मध्यप्रदेश शासन के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्यों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार, उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवका/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी.
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा.
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेंगा.
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा.
- (5) उक्त रिपोर्ट सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा.
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज, पत्र भेजगा :-
- (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट.
- (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप.
- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है.
- (घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये.
- (7) मामले की तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना.
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति ग्रप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना.
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा.

यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त 🗣 करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो.

जैसे ही उसे अपना स्थानांतर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल (11)जानकारी देगा. वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए.

प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस (12)बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छूपी हुई नहीं रह

प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चिय होता है, (13)परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की प्रति भी प्राप्त की

जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए.

प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकरंर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद में प्रक्रम में पारित किये गये किसी भी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें.

मध्यप्रदेश के राज्यप्रलि के नाम से तथा आदेशानुसार,

(श्रृंखला संगीने) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल,दिनांक 🕏 /3/ 2016

पृष्ठांकन क्रं एफ-16/9/2016/ई/चार प्रतिलिपि:-

सचिव,मध्यप्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विधाग,भोपाल। 1.

उप रजिस्ट्रार,माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर । 2.

उप महाधिवक्ता,माननीय उच्च न्यायालय भध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर । 3.

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त,कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं 4.

आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा,इंदौर (म.प्र.) एवं प्रभारी अधिकारी की ओर 5. अग्रेषित/निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपनी प्रत्येक भेट (विजिट) शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषितः मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए. वाद पत्र की एक-एक प्रति इस विभाग को/आवश्यक रूप से भेजी जाए।

> अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

or

BY. REGD. A.D. POST

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

From Separate Separ

To,

The State of MP Through Principal Secretary, Finance Department, Vallabh Bhawan, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH).

2064

Indore 07-01-2016

A van

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 8758/ 2015

Ay Madam

I am directed to inform you that one Kamal Singh Chouhan has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/8758/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 05-04-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

AFFIXED AT IMPORT

Your's faithfully

DEPUTY REGISTRAR